कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या :—01/2018—19 नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सूची के अनुसार निष्प्रयोज्य सामग्री की **नीलामी दिनाँकः—09.08.2018** को नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर में अपरान्ह 12:00 बजे से निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जायेगी।

निष्प्रयोज्य सामग्री केन्द्रीय भण्डार नलकूप खण्ड, पुवायाँ रोड, बाईबाग, शाहजहाँपुर में उपलब्ध है। नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन—पत्र दिनाँक—01.08.2018 से 06.08.2018 तक सुबह 10:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सहायक अभियन्ता, चतुर्थ, नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर के कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते है। भरे हुये आवेदन—पत्र निर्धारित धरोहर धनराशि तथा पहचान—पत्र के साथ नीलामी की तिथि को अपरान्ह 12:00 बजे तक खण्डीय कार्यालय में जमा करना होगा।

क0 सं0	सामग्री का विवरण	यूनिट मात्रा कि0ग्रा0 में	लाट संख्या	धरोहर धनराशि	आवेदन—पत्र का मूल्य	स्थान का नाम/पता जहाँ सामग्री उपलब्ध है।
1	2	3	4	5	6	7
1	जला हुआ पी0बी0सी0 कोटेड ताँबे का तार	8300	01	616275.00	100+वैट	केन्द्रीय भण्डार, नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर
2	स्टील/आयरन स्क्रैप	2700	02	17350.00	100+वैट	— तदैव —
3	जला हुआ सुपर इनेमिल्ड ताँबे का तार	235	03	23265.00	100+वैट	
4.	गन मैटल	290	04	21532.00	100+वैट	
5	जला हुआ एल्युमिनियम का तार	147	05	5035.00	100+वैट	

नीलामी की मुख्य शर्तेः—

1. धरोहर धनराशि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर के नाम बन्धक तथा शाहजहाँपुर में देय बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगी। जिसे नीलामी स्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत धनराशि के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा। धरोहर धनराशि जमा किये बिना नीलामी में भाग नहीं लिया जा सकता। धरोहर धनराशि नगद रूप में मान्य नहीं होगी।
2. बोलीदाता को अपनी फोटो पहचान—पत्र, निवास स्थान, कार्यालय के पते तथा दूरभाष संख्या नोटरी से सत्यापित कराकर नीलामी के दिन निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।
3. बोलीदाता को अपना फर्म का इनकमटैक्स का पैन नम्बर तथा व्यापार कर में रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति भी जमा करना अनिवार्य होगा। इनकमटैक्स व व्यापार कर का रजिस्ट्रेशन न होने पर बोली में भाग नहीं लिया जा सकेगा।
4. नीलामी निर्धारित तिथि को गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
5. उपरोक्त सामग्री जहाँ भी है, जैसे भी है कि आधार पर नीलामी की जायेगी।
6. नीलामी की जाने वाली सामग्री केन्द्रीय भण्डार, नलकूप खण्ड, पुवायाँ रोड बाई बाग, शाहजहाँपुर में उपलब्ध है का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता (केन्द्रीय भण्डार) से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
7. अधिकतम बोलीदाता को बोली मूल्य का 25 प्रतिशत (धरोहर धनराशि शामिल करते हुये) तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. विक्रय किये गये आवेदन—पत्र का मूल्य वापस नहीं किया जायेगा।
9. सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(षिवजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर

<u>निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की अन्य शर्तेः—</u>

1. बोलीदाता के अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का नीलामी स्थल में प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. नीलामी की स्वीकृति विभाग/शासन स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी। जिन्हे बिना कारण बताये नीलामी स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना प्रेषण के पन्द्रह दिवस के अन्दर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा करना होगी। तदोपरान्त 15 दिवस के अन्दर अधिशासी अभियन्ता के लिखित आदेश पर सामग्री उठाना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में 75 प्रतिशत शेष जमा धनराशि जमा न करने पर पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।
3. उच्चतम बोली बोलने वाले को कुल बोली मूल्य पर व्यापार कर नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली अस्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी हेतु सामग्री जहाँ है जैसे की स्थिति में प्रदान किया जायेगा। बोली स्वीकृत के पश्चात् नीलाम सामग्री सन्दर्भ में कोई शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी के अनुमोदन होने एवं सामग्री उठाने तक दर्शित सामग्री की सुरक्षा प्रबन्ध स्वयं करनी होगी।
7. नीलामी की समस्त प्रक्रिया वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के पैरा 260 ए एपेन्डिक्स एक्स आई एक्स डी के अन्तर्गत की जायेगी।
8. विशेष शर्ते खण्डीय कार्यालय में उपलब्ध है।

(षिवजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर